

भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया  
INDIA SECURITY PRESS, CTS - 2010



भारतीय स्टेट बैंक  
STATE BANK OF INDIA

Code No. 2231001

2 0 0 7 2 0 1 9  
D D M M Y Y Y Y

Pay **Divisional Forest Officer, Balod**

एक रुपय **SEVENTY SEVEN THOUSAND ONLY**

**UNDER RUPEES: SEVENTY SEVEN THOUSAND ONE ONLY**

A/c No. **32446734539**

उत्तीर्णक सरकार  
सचिवालय कोष, नेता एवं वृत्त  
जिला कार्यालय अफिसर

~~ACC Payee~~ **GOVERNMENT OF CHHATTISGARH**  
~~DIR-OF TREASURY ACCOUNTS & PENSION~~  
**DISTT TREASURY OFFICE**

CHT/1

कोष का आदेशकर्ता or Order

₹ **77000 /-**

अक्षर संख्या

*Signature*  
**Executive Engineer**

**Water Resources Division**

**(C. G.) Balod (C.G.)**

PLAZA WATER RESOURCES

**Divisional Account Officer**  
**Water Resources Division**

**Balod (C.G.)**

**SBI BALOD**

IFSC CODE: **SBIN00 49200200210**

20



## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, अटल नगर, रायपुर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू-प्रबंध/सिंचाई/ 425-1/1537

रायपुर, दिनांक 26/06/2019

प्रति,

वन मंडलाधिकारी (नोडल अधिकारी)

बालोद वन मंडल, बालोद

छत्तीसगढ़

**विषय:-** बालोद / राजनांदगांव जिले के डोंडीलोहारा/ मोहला विकासखण्ड में प्रस्तावित मोहड़ जलाशय हेतु 315.66 हेक्टेयर वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव बाबत ।

- संदर्भ:-**
1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/ भू-प्रबंध/सिंचाई/ 422-1/ 438 दिनांक 17.02.2009
  2. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बालोद का ज्ञापन क्रमांक/ 1721 / तक/ 2019-20 दिनांक 29.04.2019

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत आवेदनकर्ता के मांग पर संदर्भ पत्र -1 के माध्यम से विषयांकित प्रस्ताव का पंजीयन क्रमांक/DUG/DUG/DUG/IIR/2009/ 013 आबंटित किया जाकर प्रस्ताव 30 दिवस में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया था । पंजीयन उपरांत प्रकरण का पूर्ण प्रस्ताव 10 वर्ष से अप्राप्त है ।

संदर्भ पत्र-2 के माध्यम से आवेदक संस्थान द्वारा पूर्व आबंटित पंजीयन में दर्शित रकबा एवं वर्तमान डी.जी.पी.एस. सर्वे से प्राप्त रकबा (388.37 हे.) में वृद्धि होने के कारण पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि क्या पुनः जमा करने की आवश्यकता है अथवा नहीं? के संबंध में अनुमति प्रदान करने / दिशा निर्देश देने का अनुरोध किया है जो आपको भी पृष्ठांकित है ।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रकरणों का परिवेश पोर्टल पर ऑन लाईन प्रक्रिया प्रारंभ होने के कारण अब आवेदक संस्थान को पूर्व में आबंटित पंजीयन के स्थान पर वर्तमान डी.जी.पी.एस सर्वे में प्राप्त रकबा (388.37 हे.) के अनुसार ऑन लाईन पंजीयन कराना होगा । अतः वर्तमान प्रचलित दर पर पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क की अंतर की निम्नानुसार राशि आवेदक संस्थान को पी.डी. खाता में जमा कराकर ऑनलाईन पंजीयन करने हेतु निर्देशित करे:-

विवरण	वर्तमान प्रचलित दर रु.	आवेदक द्वारा पूर्व में जमा की गई राशि रु.	अंतर की राशि रु.
पंजीयन शुल्क	6,000	1,000	5,000
प्रोसेसिंग शुल्क	87,000	15,000	72,000
योग	93,000	16,000	77,000

  
(अतुल कुमार शुक्ला)

अ.प्र.मु.व.स (भू- प्रबंध / व.सं.अ)  
छत्तीसगढ़

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, राजनांदगांव वन मंडल, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही वनमंडलाधिकारी, बालोद (नोडल अधिकारी) के माध्यम से संपादित करें।
3. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद, जिला बालोद।

  
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व.सं.अ)  
छत्तीसगढ़